

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 33ए/16
 संस्थापन दिनांक:-06/09/13
 फाईलिंग नं. 233504000112013

उमाचरण पिता जियालाल जायसवाल
 उम्र 53 वर्ष, निवासी कोठीबाजार बैतूल,
 तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादी

वि रू द्ध

1. श्रीमती शशि पति स्व. मदन शर्मा, उम्र 70 वर्ष
2. रूपेश पिता स्व. मदन शर्मा, उम्र 50 वर्ष
3. संजीव पिता स्व. मदन शर्मा, उम्र 40 वर्ष
 सभी निवासी राम मंदिर की चाल आमला,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 27.10.2016 को घोषित)

1 वादी द्वारा यह दावा ख.नं. 349/1 रकबा 0.283 हे. स्थित तहसील आमला जिला बैतूल पर ब्लॉक 20 गुणा 50 वर्गफिट पर स्थित मकान जिसके उत्तर में अशोक जैसवाल का मकान, दक्षिण में गुगनानी का मकान, पूर्व में गली तथा पश्चिम में राम मंदिर ग्राउंड जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द के रूप में दर्शाया गया है, (अत्र पश्चात विवादित मकान) के रिक्त आधिपत्य एवं वाद प्रस्तुती दिनांक से रिक्त आधिपत्य की प्राप्ति तक 2,000/- रुपये मीन्स प्राफिट के रूप में दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई है प्रकरण में यह स्वीकृत है कि विवादित मकान आमला स्थित राम मंदिर चाल में है।

3 वादी द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी का आमला जिला बैतूल में राममंदिर स्थित है। वादी के पिता जियालाल जैसवाल के द्वारा राम मंदिर की देखरेख, व्यवस्था तथा पूजा पाठ हेतु प्रतिवादी क्र. 01 के पति तथा प्रतिवादी क्र. 02 एवं 03 के पिता स्व. मदन शर्मा को सौंपा गया था, तथा उनके रहवास हेतु राम मंदिर के पास बना विवादित मकान दिया गया था जिसमें वर्तमान में प्रतिवादीगण निवास कर रहे हैं। विवादित मकान ख.नं. 349/1 रकबा 0.283 पर

निर्मित है, जो कि वादी के हक एवं स्वामित्व की भूमि है। प्रतिवादीगण के द्वारा राम मंदिर की देखरेख एवं पूजा पाठ में घोर लापरवाही बरतने के कारण वादी के द्वारा विगत आठ वर्ष पूर्व अन्य पंडित को अधिकृत किया गया है किंतु उसका आवास राम मंदिर के पास न होने से मंदिर की देखरेख, व्यवस्था एवं पूजापाठ समुचित रूप से नहीं हो पा रही है। वादी के द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार यह निवेदन किया गया कि वह मकान खाली कर दें परंतु प्रतिवादीगण हमेशा टालते रहे। तब वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादीगण को पृथक-पृथक सूचना पत्र प्रेषित कर यह निर्देशित किया कि उनकी विवादित मकान में रहने की मौखिक अनुज्ञप्ति वादी द्वारा दिनांक 28.02.2013 से समाप्त कर दी गयी है परंतु इसके बाद भी प्रतिवादीगण ने विवादित मकान का रिक्त आधिपत्य नहीं सौंपा। अतः : वादी द्वारा उक्त दावे के माध्यम से विवादित मकान के रिक्त आधिपत्य एवं रिक्त आधिपत्य की प्राप्ति तक 2,000/- रुपये मीन्स प्राफिट के रूप में दिलवाये जाने का अनुतोष न्यायालय से चाहा गया है।

4 प्रतिवादी क्र. 01, 02 एवं 03 के द्वारा पृथक-पृथक लिखित में जवाबदावा पेश कर उसमें वाद पत्र के अभिवचनों को असत्य एवं निराधार बताते हुए यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी के पिता स्व. मदन मोहन शर्मा शासकीय नौकरी में थे तथा विवादित मकान पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिवादीगण का परिवार एवं पूर्वज निवास करते चले आ रहे हैं। विवादित मकान प्रतिवादीगण की संपत्ति है तथा जो नगर पालिका अभिलेखों में उनके नाम पर दर्ज भी है तथा विवादित मकान का टैक्स प्रतिवादीगण के परिवार के द्वारा ग्राम पंचायत के स्तर से अदा किया जा रहा है तथा प्रतिवादीगण वादी की जानकारी में शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 80-100 वर्षों से निवास कर रहे हैं। प्रतिवादीगण कभी भी वादी के किरायेदार नहीं रहे। वादी द्वारा अपने दावे में पक्षकारों का असंयोजन किया गया है एवं दावा समयावधि से बाहर है। अतः दावा सव्यय निरस्त किया जावे।

5 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी के पिता ने प्रति.क्र. 01 के पति तथा शेष प्रतिवादी के पिता स्व. मदन शर्मा को राममंदिर की देखरेख एवं व्यवस्था एवं उसके पूजा पाठ हेतु राममंदिर के पास बने ब्लॉक (मकान) 20 गुणा 50 वर्गफुट सौंपा था?	
2.	क्या वादी को विवादित मकान, वादी के द्वारा राममंदिर	

	की देखरेख के लिये नियुक्त अन्य पंडित के लिए सद्भाविक आवश्यकता है ?	
3.	क्या वादी ने प्रतिवादीगण की विवादित मकान में रहने की मौखिक अनुज्ञप्ति दिनांक 28.02.2013 को समाप्त कर दी थी ?	
4.	क्या वादी विवादित मकान, जिसे वाद पत्र में अ, ब, स, द में दर्शाया गया है, का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ?	
5.	क्या वादी विवादित मकान का वाद प्रस्तुती दिनांक से रिक्त आधिपत्य प्राप्ति दिनांक तक मीन्स प्राफिट के रूप में 2,000/- (दो हजार रुपये) मासिक की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है ?	
6.	क्या वादी का वाद समयावधि में है ?	
7.	क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	
8.	क्या वाद में पक्षकारों का असंयोजन है ?	
9.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 वादी उमाचरण द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 02 में यह प्रकट किया गया कि उसके पिता जियालाल के द्वारा प्रतिवादी रुपेश के पिता मदन शर्मा को उनके आमला स्थित राममंदिर की देखरेख, पूजापाठ, साफ सफाई हेतु पुजारी की हैसियत से राम मंदिर चाल में मंदिर के बगल से स्थित रहवासी परिसर रहने के लिये दिया गया था। साक्षी उमाचरण (वा.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में यह बताया कि उसके द्वारा मदन शर्मा को पुजारी के रूप में नहीं रखा गया था। स्वतः में साक्षी ने यह बताया कि उसके पिता ने मंदिर के पुजारी हेतु रखा

था। पैरा 08 में उक्त साक्षी ने यह बताया कि विवादित मकान से प्रतिवादीगण को निकालने का उसके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया स्वतः में बताया कि मौखिक रूप से कहा था। पैरा 09 में साक्षी ने यह बताया कि मदन मोहन शर्मा की मृत्यु लगभग 10-15 वर्ष पूर्व हो चुकी है। पैरा 10 में साक्षी का यह कथन है कि मदन शर्मा शिक्षक हैं। पैरा 17 में साक्षी ने यह बताया कि उसके द्वारा अन्य मामले में भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं जो किरायेदारी से संबंधित हैं।

7 रामकुमार (वा.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि राम मंदिर के पूर्व पुजारी मदन शर्मा को मकान पुजारी की हैसियत से दिया गया था, उन्होंने अनेकों वर्षों से मंदिर में पूजा छोड़ दी उसके बाद वह पूजापाठ कर रहा है। जबकि पैरा 06 में साक्षी ने यह बताया कि वह न तो कभी पंडित शर्मा से मिला और ना ही उन्हें जानता है तथा पैरा 07 में यह बताया कि पिछले 50 वर्षों में मंदिर में किसने पूजा की उसे मालूम नहीं है। स्वतः में यह कहा कि वह 15 वर्षों से पूजारी है। पैरा 08 में यह बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पंडित शर्मा को किसने पुजारी रखा था। गोविंदराव (वा.सा.-3) ने पैरा 04 में यह बताया कि लगभग 20 वर्षों से मदन महाराज का परिवार विवादित मकान में रह रहा है उसके पूर्व का उसके मालूम नहीं है। साक्षी ने पैरा 06 में बताया कि वह ग्राम रमली में रहता है तथा उसके सामने उमाचरण के द्वारा किसी पुजारी की नियुक्ति नहीं की गयी। स्वतः में साक्षी का यह कहना है कि उसे नियुक्ति समझती नहीं है।

8 प्रतिवादी रुपेश (प्र.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया कि वादी एवं उसके परिवार के मध्य मकान मालिक व किरायेदारी का संबंध नहीं है और ना ही उसके पिता मदन शर्मा को वादी के पिता के द्वारा राम मंदिर की देखरेख या पूजा पाठ हेतु नियुक्त किया गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 09 में यह गलत होना बताया कि उसके पिता को वादी के परिवार वालों ने विवादित मकान राम मंदिर की पूजा पाठ साफ सफाई व पुजारी की हैसियत से काम करने के कारण दिया था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया कि उसकी उम्र 42 वर्ष हो गयी है उसने कभी अपने पिता को पूजा करते नहीं देखा। स्वतः में साक्षी ने यह कहा कि उसका पिता शासकीय सेवक हैं।

9 **वादी अधिवक्ता का यह तर्क है कि शासकीय शिक्षक होने के साथ ही कोई भी व्यक्ति पुजारी का भी काम कर सकता है।** तर्क के परिप्रेक्ष्य में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षक है तो वह पुजारी का कार्य नहीं कर सकता है, परंतु प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित नहीं हो रहा है कि वादी के पिता जियालाल के द्वारा कब या किस वर्ष में प्रतिवादी के पिता मदन भार्मा को राम मंदिर में पुजारी की हैसियत से नियुक्त किया गया साथ ही स्वयं वादी उमाचरण (वा.सा.-1) के कथनों से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके समक्ष प्रतिवादी के पिता मदन शर्मा की नियुक्ति राममंदिर में पुजारी

की हैसियत से की गयी और इस हेतु विवादित मकान रहने के लिये दिया गया था। वादी द्वारा परिक्षित किसी भी साक्षी एवं स्वयं वादी उमाचरण के द्वारा अपने कथनों में यह नहीं बताया गया कि उनके समक्ष कभी मदन शर्मा ने राममंदिर में पुजारी की हैसियत से पूजा पाठ या धार्मिक कार्य किया हो। प्रतिवादी रुपेश इस तथ्य पर अखंडित रहा है कि उसके पिता मदन शर्मा राम मंदिर में पुजारी की हैसियत से काम नहीं करते थे। वादी द्वारा न तो स्व. मदन शर्मा को राममंदिर आमला में पुजारी की हैसियत से नियुक्त किये जाने संबंधी कोई लिखित साक्ष्य पेश की गयी है और मौखिक साक्ष्य से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वादी के पिता जियालाल के द्वारा प्रतिवादी के पिता स्व. मदन शर्मा को राममंदिर के पुजारी की हैसियत से नियुक्त किया गया था और उसी कार्य हेतु उन्हें विवादित मकान रहने के लिए दिया गया था। अतः वाद प्रश्न 01 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 02 का निराकरण

10 वादी का यह अभिवचन है कि उन्हें विवादित मकान की आवश्यकता राममंदिर की देखरेख हेतु नियुक्त किये गये नये पंडित के लिए है, क्योंकि उपर्युक्त पंडित/पुजारी के लिये अन्य परिसर नहीं है। साक्षी रामकुमार (वा.सा.-3) ने पैरा 06 में यह बताया कि वह आमला में 15 साल से रह रहा है तथा पैरा 07 में यह बताया कि वह 15 वर्षों से राममंदिर में पुजारी है। पैरा 09 में उक्त साक्षी ने बताया कि वह वर्तमान में कसारी मोहल्ला में किराये के मकान से रहता है तथा इसी पैरा में यह बताया कि उसने कुछ दिनों पहले एक मकान कसारी मोहल्ला में ही खरीदा है तथा जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। इसी पैरा में यह बताया कि कसारी मोहल्ला से राममंदिर की दूरी 600-700 मीटर है तथा यह भी बताया कि उसके पास वाहन है। उक्त साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उसे राममंदिर की व्यवस्था व देखरेख किये जाने में अन्य मोहल्ले में रहने के कारण असुविधा हो रही है। उक्त साक्षी ने अपने कथनों में बताया कि उसके द्वारा स्वयं का एक मकान भी क्रय कर लिया गया है। तथा विगत 15 वर्षों से राममंदिर में कसारी मोहल्ले में निवासरत रहते हुये पुजारी का कार्य कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादी को विवादित मकान राममंदिर के देखरेख के लिये नियुक्त अन्य पंडित के लिये सद्भावित आवश्यकता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 02 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

11 वादी द्वारा यह अभिवचन किया गया कि उनके द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस भेजकर विवादित मकान में रहने की मौखिक अनुज्ञप्ति दिनांक 28.02.2013 को समाप्त कर दी गयी। इसके समर्थन में वादी द्वारा दस्तावेज (प्रदर्श

प्री-3) श्रीमती शशि शर्मा के अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस की असल प्रति, लिफाफा (प्रदर्श प्री-4), अभिस्वीकृति (प्रदर्श प्री-5), पोस्ट रसीद (प्रदर्श प्री-6) तथा प्रतिवादी संजू शर्मा व रुपेश शर्मा को प्रेषित नोटिस जो बंद लिफाफे मय अभिस्वीकृति वापस प्राप्त हुए। क्रमशः (प्रदर्श प्री-7, 08, 09 व 10) तथा उनकी पोस्ट रसीद (प्रदर्श प्री-11) व (प्रदर्श प्री-12) पैरा की है। अधिवक्ता द्वारा प्रेषित उपर्युक्त नोटिस के अवलोकन से दर्शित है कि उसमें यह लेख किया गया है कि विवादित मकान में रहवास की मौखिक अनुज्ञप्ति दिनांक 28.02.2013 से समाप्त की जाती है।

12 यह उल्लेखनीय है कि अनुज्ञप्ति प्रदाता अपनी इच्छानुसार इसे कभी भी समाप्त कर सकता है तथा जो अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है। परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुज्ञप्तिदाता वादी उमाचरण ना होकर उसके पिता जियालाल हैं साथ ही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श डी-6) जो कि प्रतिवादी के पिता मदन शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र है। उसके अवलोकन से मदन शर्मा की मृत्यु दिनांक 01.07.1999 को होना प्रकट हो रहा है। अनुज्ञप्ति के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। स्पष्टतः अनुज्ञप्ति दिनांक 28.02.13 को समाप्त किये जाने का नोटिस प्रेषित किये जाने के पूर्व ही दिनांक 01.07.1999 को अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने से अनुज्ञप्ति 01.07.1999 को स्वतः समाप्त हो जाना मानी जायेगी। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता कि वादी उमाचरण ने प्रतिवादीगण की विवादित मकान में रहने की मौखिक अनुज्ञप्ति दिनांक 28.02.2013 को समाप्त कर दी थी। तदनुसार वाद प्रश्न क्र 03 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 04 का निराकरण

13 वादी उमाचरण (वा.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 07 में यह बताया कि प्रतिवादीगण उनके किरायेदार नहीं हैं। स्वतः में कहा कि मंदिर की देखरेख व पूजापाठ के लिये मकान दिया गया था। पैरा 08 में यह बताया कि विगत 40 वर्षों से मदन शर्मा का परिवार निवासरत है तथा उसके द्वारा उन्हें विगत 40 वर्षों से निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रतिवादी रुपेश (प्र.सा.-1) ने अपने परीक्षण में यह प्रकट किया कि उसके पिता को कभी भी राममंदिर में पुजारी की हैसियत से नियुक्त नहीं किया गया और ना ही विवादित परिसर रहने के लिये उनको किराये से दिया गया। विवादित मकान में उनका परिवार पूर्वजों के समय से रहता चला आ रहा है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 05 में उक्त साक्षी ने यह बताया कि उसके द्वारा विवादित मकान के स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। स्वतः कहा कि उसके द्वारा मकान टैक्स की रसीदें प्रस्तुत कि गई हैं।

14 वादी द्वारा विवादित मकान/परिसर एवं राममंदिर उसके स्वत्व का आधिपत्य का होने के संबंध में दस्तावेज खसरा वर्ष 2013-14 (प्रदर्श प्री-1),

खसरा नं 349/1 की वर्ष 2013-14 की किश्तबंदी खतौनी (प्रदर्श प्री-2) एवं पंजीकृत बैनामा दिनांक 30.12.1961, खसरा नं. 310 व 311 जिसका नवीन खसरा नं. 349 है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपित, (प्रदर्श प्री-13) संशोधन पंजी आदेश दिनांक 01.01.1968 (प्रदर्श प्री-14) खसरा नं 310 व 311 के संबंधित में खसरा पंचसाला वर्ष 1953-55 प्रपी16 खसरा पंचसाला वर्ष 1960-1963 (प्रदर्श प्री-17) वर्ष 1964-68 (प्रदर्श प्री-18) खसरा वर्ष 1969-1974 प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रदर्श प्री-19), अधिकारी अभिलेख वर्ष 1971-72 (प्रदर्श प्री-20) प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रतिवादी की ओर से विवादित मकान के संबंध में ग्राम पंचायत आमला के वर्ष 1956 से लेकर वर्ष 1973 तक की टैक्स रसीदें (प्रदर्श डी-1) लगायत (प्रदर्श डी-14) तथा नगर पालिका आमला में विवादित मकान के संबंध में जमा किये गये टैक्स की रसीदें (प्रदर्श डी-15) लगायत (प्रदर्श डी-50) तथा बिजली बिल (प्रदर्श डी-51) लगायत (प्रदर्श डी-66) मदन मोहन शर्मा द्वारा नगरपालिका में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.12.1986 के परिप्रेक्ष्य में नगरपालिका का आदेश दिनांक 17.12.1986 (प्रदर्श डी-67) भवन प्रमाण पत्र वर्ष 2013-14 (प्रदर्श डी-69) प्रस्तुत किया गया है।

15 वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श डी-15) व (प्रदर्श डी-16) के अवलोकन से खसरा नं 310 व 311 के कब्जेदार श्यामलाल वल्द देवीदीन होना तथा 310 का भूमि स्वामी मुरलीचरण व 311 का बाबू रसेल होना दर्शित हो रहे हैं। साथ ही कैफियत के कॉलम में मकान बने होना लेख है। दस्तावेज (प्रदर्श प्री-17) व (प्रदर्श प्री-18) के अवलोकन से उपर्युक्त खसरा नंबर पर कब्जेदार जियालाल होना तथा कैफियत के कॉलम में राम मंदिर होना व मकान किराये से देना लेख तथा खसरा नं. 310 व 311 का कुल रकबा 1.23 होना दर्शित हो रहा है। (प्रदर्श प्री-19) के अवलोकन से उपर्युक्त भूमि पर दुर्गादास एवं वादी उमाचरण का आधिपत्य होना प्रकट हो रहा है। एवं क्षेत्रफल 1.23 / 0.498 दर्शित हो रहा है। वर्ष 1972-73 की संशोधित प्रतिलिपि में भूमि बैनामा द्वारा क्रय किया जाने के आधार पर अन्य लोगों के नाम लेख होना प्रकट हो रहा है। (प्रदर्श प्री-20) के दस्तावेज से 310 व 311 के भूमि स्वामी दुर्गाचरण व उमाचरण तथा उनके संरक्षक गंगाचरण होना प्रकट हो रहा है साथ ही खसरा नं 310 व 311 का नवीन नं 349 प्रकट हो रहा है। वर्ष 1971-72 के राजस्व अभिलेखों के पश्चात् वादी द्वारा सीधे वर्ष 2013-14 की किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा प्रस्तुत किया गया है। जिनके अवलोकन से कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में दुर्गाचरण, एवं वादी उमाचरण का नाम लेख है साथ ही भूमि स्वामी एवं कब्जेदार के रूप में एक नये व्यक्ति मिश्रीलाल बल्द शिवदीन का नाम लेख है परंतु क्षेत्रफल कम होकर 0.282 लेख है तथा कैफियत के कॉलम में मात्र श्री राम मंदिर लेख है तथा आदेश दिनांक 30.04.04 का उल्लेख है।

16 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतिवादी के दादा जवाहरलाल द्वारा विवादित मकान का टैक्स ग्राम पंचायत आमला एवं कुछ वर्षों

पश्चात् नगरपालिका में अदा किया जाना दर्शित हो रहा है तथा विवादित मकान के बिजली बिल का भुगतान प्रतिवादीगण द्वारा किया जाना दर्शित हो रहा है।

17 **वादी अधिवक्ता का तर्क है कि** टैक्स रसीदें स्वत्व का प्रमाण नहीं होती हैं। तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टांत **नगर निगम ग्वालियर वि० अनिल भार्मा एवं अन्य 2002 (2) एम०पी० एल० जे० 595** प्रस्तुत किया है। न्यायालय उक्त तर्क से सहमत है परंतु न्यायालय के मत में विवादित मकान के स्वत्व के संबंध में वादी को एक उच्च स्तर की अभिसंभावना निर्मित करना था तभी भार प्रतिवादी पर अंतरित होता। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से खसरा नंबर 349 पर वादी उमाचरण का नाम दर्ज होने मात्र से ही उसके पक्ष में कोई उपधारणा की स्थिति निर्मित नहीं होती है। वादी द्वारा वर्ष 1971-72 के बाद से लगातार कई वर्षों तक के दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। खसरा न० 349 का क्षेत्रफल कम हो जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी उमाचरण (वा.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 23 में यह सही होना बताया कि खसरा नंबर 310 व 311 की भूमि वहाँ पर रह रहे बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी भी है। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने यह बताया कि उसे यह नहीं मालूम कि कुल कितनी जमीन की रजिस्ट्री हुयी तथा किसने खरीदी है। साथ ही यह भी बताया कि खसरा नंबर 310 व 311 के सहखातेदार दुर्गाचरण ने कितनी जमीन बेची उसे मालूम नहीं है। स्वतः में कहा कि उसे ध्यान नहीं है। वर्ष 1999 में मदन शर्मा की मृत्यु हो गयी थी। तब यदि वादी के पिता जियालाल द्वारा अनुज्ञप्ति दी गयी थी तो वह अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के साथ स्वतः 1999 में समाप्त हो गयी। तब ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, जिस कारण से स्वयं वादी के पिता जियालाल ने विवादित मकान खाली करवाने की कार्यवाही नहीं की या वादी उमाचरण के द्वारा इस संबंध में वर्ष 1999 में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। साथ ही वादी के पिता जियालाल द्वारा प्रतिवादी के पिता मदन शर्मा को पुजारी की हैसियत से विवादित मकान किस वर्ष रहने के लिए दिया गया था इस संबंध में भी वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। प्रतिवादी के द्वारा उसके दादा जवाहरलाल द्वारा विवादित मकान का टैक्स जमा किये जाने संबंधी रसीदें प्रस्तुत की गई है। तब यदि प्रतिवादी के पिता को मकान रहने के लिये दिया गया था तब प्रतिवादी के दादा जवाहरलाल द्वारा टैक्स कैसे अदा किया जा रहा था। इस संबंध में **वादी अधिवक्ता का यह लिखित तर्क रहा है कि** यह किसी अन्य मकान के संबंध में भी हो सकती हैं। परंतु उक्त रसीदों के अवलोकन से उसमें राममंदिर चाल लेख होने से वादी अधिवक्ता का यह तर्क महत्वहीन रह जाता है। साथ ही वादी अधिवक्ता के द्वारा न्यायदृष्टांत **ताराचंद विरुद्ध तारादेवी गुप्ता 1981(1) डब्ल्यू.एन. 255** प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अवधारित किया गया है कि यदि प्रतिवादी विटनेस बॉक्स में नहीं आता है, तब वादी के बयान अकाट्य माने जायेंगे। परंतु इस प्रकरण में प्रतिवादी क्र० 02 रुपेश शर्मा न्यायालय में परीक्षित हुआ है। अतः उक्त न्यायदृष्टांत से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18 वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से खसरा नं 310 वं 311 का नवीन नंबर 349 होना तथा उन भूमियों पर श्रीराम मंदिर व चाल तथा मकान होना और उन मकानों के किराये से दिया जाना दर्शित हो रहा है। साथ ही वादी उमाचरण के नाम उपर्युक्त भूमि उसके पिता जियालाल के द्वारा उसके विक्रय किये जाने से उपरांत आना दर्शित भी हो रही है। परंतु उपर्युक्त भूमियों का क्षेत्रफल 1.23/0.498 से वर्ष 2013-14 में घटकर 0.282 हो गया है। स्पष्टतः जो वादी उमाचरण के स्वत्व का होना प्रकट हो रहा है परंतु कैफियत के कॉलम में मात्र उक्त क्षेत्रफल पर राममंदिर होना लेख है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा वर्ष 1971-71 के अधिकार अभिलेख के बाद से वर्ष 2011-12 तक के कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। उपर्युक्त परस्थितियाँ उसके विरुद्ध विचारणीय हैं।

19 वाद प्रश्न क0 1 के निष्कर्षानुसार वादी द्वारा प्रतिवादी के पिता मदन शर्मा को मौखिक अनुज्ञप्ति पर विवादित मकान/परिसर का दिया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है। एवं खसरा नंबर 310 व 311 नवीन नं. 349 के संबंध में वर्ष 1971-72 से 2013 तक के दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं तथा उपर्युक्त भूमियों के क्षेत्रफल में कमी के संबंध में तथा खसरा नं 349 की भूमि अन्य लोगों को विक्रय किये जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा वर्ष 1999 में पं. मदन शर्मा की मृत्यु हो जाने पर भी लगभग 13-14 वर्षों तक विवादित मकान प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में कोई भी समुचित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। साथ ही वर्ष 2013-14 किशतबंदी खतौनी व खसरा में अन्य नवीन सहखातेदार मिश्रीलाल व शिवदीन का नाम भी लेख है। जिसके संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जबकि प्रतिवादी के द्वारा वर्ष 1956-57 से लगातार विवादित मकान के टैक्स की रसीदें जो कि उसके दादा जवाहरलाल के समय से जमा की जा रही हैं, प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी इस तथ्य पर अखंडित रहा है कि उसके पिता मदन शर्मा की नियुक्ति पुजारी के रूप में नहीं की गयी थी तथा मदन शर्मा ने कभी भी पुजारी का कार्य नहीं किया तथा प्रतिवादी विगत 40 से अधिक वर्षों से मकान में निरंतर शांतिपूर्वक आधिपत्य के चल रहे हैं। अतः उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से वादी विवादित मकान जिसे वाद पत्र संलग्न नक्शे में अ ब स द से दर्शित किया गया है, का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क0 4 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 05 का निराकरण

20 वाद प्रश्न क 04 की विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह प्रकट है कि वादी को विवादित मकान के संबंध में अभिवचनानुसार 2,000 रु. मासिक की कोई नुकसानी कारित नहीं हुयी। तब ऐसी दशा में प्रतिवादीगण से कोई धनराशि अंतर्वर्ती लाभ के रूप में पाने का अधिकारी होना प्रमाणित नहीं पाया जाता।

तदनुसार वाद प्रश्न “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 06 का निराकरण

21 वादी के द्वारा वाद कारण प्रतिवादीगण को भेजे गये सूचनापत्र दिनांक 28.2.2013 से प्रारंभ होने का अभिवचन किया गया है। वादी के द्वारा यह बताया गया है कि सूचनापत्र भेजे जाने के पूर्व भी प्रतिवादीगण को विवादित मकान खाली करने के लिये कहा गया था परंतु वादी के द्वारा कोई निश्चित तिथि या वर्ष नहीं बताया गया। न्यायालय के मत में वादकारण उस दिनांक से माना जायेगा जिस तिथि से प्रतिवादी के पिता मदन भार्मा को उनके द्वारा मंदिर की व्यवस्था ठीक से न किये जाने के संबंध में कहा गया हो परंतु वादी के द्वारा ऐसे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं कि जिससे यह पता चले कि किस तिथि से मदन भार्मा के द्वारा मंदिर की व्यवस्था के कार्य में उपेक्षा की जा रही थी।

22 आधिपत्य की प्राप्ति हेतु वाद लाने की परिसीमा वाद कारण दिनांक से 12 वर्ष है वादी के द्वारा किसी निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं किया गया कि कब विवादित मकान खाली करने के लिये कहा गया। वादी के अभिवचन अनुसार विवादित मकान प्रतिवादी के पिता मदन शर्मा को पुजारी की हैसियत से दिया गया था अतः वादकारण मदन शर्मा की मृत्यु दिनांक 1.7.1999 अर्थात् वर्ष 1999 से मानी जायेगी वादी द्वारा दावा वर्ष 2013 में लाया गया है अतः दावा परिसीमा अवधि से बाधित पाया जाता है। फलतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि वाद समय अवधि में है तदनुसार वाद प्रश्न क्र 06 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 07 का निराकरण

23 वादी द्वारा विवादित मकान का मूल्यांकन 50,000 रु. किया गया है उसी अनुसार मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। जबकि प्रतिवादी का यह अभिवचन है कि विवादित मकान का बाजार मूल्य 25,00,000 रु. है जिस पर 3 लाख रु. से अधिक न्यायालय शुल्क अदा करना था। उभयपक्ष की ओर से विवादित मकान के बाजार मूल्य के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। इस आशय के भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं कि किस जगह विवादित मकान स्थित है उसके आस पास उसी प्रकार के मकान का बाजार में मूल्य क्या है। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा मूल्यांकन सही किया जाकर उस पर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र 07 “हाँ” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 08 का निराकरण

24 प्रतिवादी का यह अभिवचन है कि दावे में म.प्र. शासन एक आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि दावे का उचित मूल्यांकन न किये जाने से शासन का नुकसान हुआ है। वादी द्वारा विवादित मकान के रिक्त आधिपत्य की सहायता चाही गयी है तथा स्व. पंडित मदन शर्मा की पत्नी एवं पुत्रों को पक्षकार बनाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आवश्यक पक्षकार वह होता है जो प्रकरण के विवाद को निराकृत करने हेतु आवश्यक हो अर्थात् उसे पक्षकार बनाये बिना प्रकरण का निराकरण संभव नहीं हो। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि दावे में पक्षकार का असंयोजन है। तदनुसार “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 09 का निराकरण

25 उपर्युक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी के पिता द्वारा प्रतिवादी क. 01 के पति एवं अन्य प्रतिवादी के पिता स्व. मदनशर्मा को राममंदिर की देखरेख एवं व्यवस्था एवं उसके पूजापाठ हेतु राममंदिर के पास बने ख.नं. 349/1 रकबा 0.283 हे. स्थित तहसील आमला जिला बैतूल पर ब्लॉक 20 गुणा 50 वर्गफिट पर स्थित विवादित मकान जिसके उत्तर में अशोक जैसवाल का मकान, दक्षिण में गुगनानी का मकान, पूर्व में गली तथा पश्चिम में राम मंदिर ग्राउंड जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द के रूप में दर्शाया गया है, सौंपा गया था तथा वादी का दावा समयावधि से बाधित भी पाया गया है। अतः वादी उपर्युक्त विवादित मकान के रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलतः वादी का दावा निरस्त कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है।

1. वादी ख.नं. 349/1 रकबा 0.283 हे. स्थित तहसील आमला जिला बैतूल पर ब्लॉक 20 गुणा 50 वर्गफिट पर स्थित विवादित मकान जिसके उत्तर में अशोक जैसवाल का मकान, दक्षिण में गुगनानी का मकान, पूर्व में गली तथा पश्चिम में राम मंदिर ग्राउंड जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द के रूप में दर्शाया गया है, का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
2. वादी का दावा समयावधि से बाधित पाया जाता है।
3. वादी उपर्युक्त विवादित मकान के संबंध में 2000 रु. मीन्स प्राफिट के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
3. वादी स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादी का भी वाद व्यय वहन करेगा।

4. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज़ापित तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल